

विषय सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सार		vii
अध्याय I विहंगावलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	4
शासकीय लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.3	5
वित्त का आशुचित्र	1.4	8
राजकोषीय अवशेष : घाटे और सकल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.5	11
लेखापरीक्षा जाँचोपरांत घाटा और सकल ऋण	1.6	15
लेखापरीक्षा उपरान्त—सकल लोक ऋण	1.7	17
अध्याय II राज्य के वित्त		
राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन	2.1	19
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	2.2	20
राज्य के संसाधन	2.3	21
राज्य की राजस्व प्राप्तियां	2.3.2	22
पूँजीगत प्राप्तियां	2.3.3	33
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	35
राजस्व व्यय	2.4.1	38
पूँजीगत व्यय	2.4.2	46
लोक लेखा	2.5	54
लोक दायित्व प्रबन्धन	2.6	62
ऋण संवहनीयता विश्लेषण	2.7	68
उधार ली गयी निधि का उपयोग	2.7.1	72
प्रत्याभूतियों की स्थिति—आकस्मिक देयताएं	2.7.2	73
नकद अवशेष का प्रबन्धन	2.7.3	74
नकद अवशेष में भिन्नता	2.7.4	77
निष्कर्ष	2.8	77

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
संस्तुतियाँ	2.9	78
अध्याय III बजटीय प्रबन्धन		
बजट प्रक्रिया	3.1	79
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियाँ	3.2	84
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	3.3	87
निष्कर्ष	3.4	96
संस्तुतियाँ	3.5	96
अध्याय IV लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग परम्परायें		
राज्य के स्वामित्व वाले पीएसई/प्राधिकरणों के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त-बजट ऋण को संचित निधि में जमा नहीं किया जाना	4.1	99
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में अनुन्मोचित देनदारियाँ	4.2	101
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि	4.3	102
हरित कर के लेखांकन के लिये उप-शीर्ष/विस्तृत शीर्ष का सृजन न किया जाना	4.4	103
राज्य में कार्यदायी संस्थाओं को केन्द्रीय योजनाओं की निधियों का अन्तरण	4.5	104
उपभोग प्रमाणपत्रों के प्रेषण में विलम्ब	4.6	104
संक्षिप्त आकस्मिक बिल	4.7	107
वैयक्तिक जमा खाता	4.8	108
लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण प्रयोग	4.9	109
बहुप्रयोजनीय मानक मद: '42-अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय	4.10	112
प्रमुख उच्च एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत बकाया अवशेष	4.11	114
लेखा मानकों का अनुपालन	4.12	115
ऋण और अग्रिम के प्रतिकूल अवशेष	4.13	115
विभागीय आँकड़ों का मिलान न किया जाना	4.14	116
स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुत किया जाना	4.15	118
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे	4.16	119

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, आदि के लम्बित मामले	4.17	119
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही	4.18	121
निष्कर्ष	4.19	121
संस्तुतियाँ	4.20	122

परिशिष्टियाँ		
विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ
उत्तर प्रदेश राज्य के सामान्य आँकड़े	1.1	125
राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े	2.1	126
2019-24 की अवधि के दौरान स्वयं का कर/करेतर राजस्व का संग्रह	2.2	128
वर्ष 2023-24 के दौरान आरक्षित निधियों का विवरण	2.3	129
वर्ष 2023-24 के दौरान एकमुश्त बजटीय प्रावधान	3.1	130
वर्ष 2023-24 के बजट अभिलेख में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण पद्धति विवरण में (केन्द्रांश/राज्यांश/वित्तीय संस्थाओं) का उल्लेख नहीं किया जाना	3.2	134
उन प्रकरणों का विवरण जहाँ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में वित्त पोषण प्रतिरूप में कुल केन्द्रांश और राज्यांश 100 प्रतिशत से अधिक/कम या अन्य वित्तीय संस्थान/अनुदानग्राही के वित्त पोषण अंश का उल्लेख नहीं है	3.3	136
अनुदान-वार बचत दर्शाने वाला विवरण	3.4	137
वर्ष 2023-24 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाली अनुदानें	3.5	140
अनुदान जिनमें विगत पाँच वर्षों (2019-24) के दौरान लगातार बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी	3.6	144
जिन योजनाओं में अनुपूरक प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका	3.7	146
अनावश्यक पुनर्विनियोजन	3.8	152
मुख्य शीर्षों को दर्शाने वाले विवरण जहाँ मार्च 2024 में 50 प्रतिशत या अधिक व्यय किया गया था	3.9	156
योजनायें जिनके लिए मूल प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका	3.10	157
योजनाओं का विवरण जिनके मूल प्रावधानों को अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजित किया गया	3.11	159

परिशिष्टियाँ		
विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ
उन अनुदानों का सारांश जिनमें समर्पण बचत से अधिक है	3.12	164
विभिन्न स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के लेखे के अन्तिमीकरण के लम्बित होने का विवरण	4.1	165
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण की स्थिति	4.2	167
पदों की व्याख्या	-	169
प्रथमाक्षरी	-	171